संoसंo–मoनिo–II–उo योo–107/2023–24/ 57 रा0(वि0)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0 प्र0 से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

राँची/दिनांक 14-03-2024

विषय– **राज्य योजना ''मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन'' अंतर्गत जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य मद में कुल मो0 551.43 लाख (पाँच करोड़ एक्यावन लाख तैंतालीस हजार) रुपये मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा उक्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं विगत वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के तहत व्यय की स्वीकृति हेतु शेष राशि के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो0 311.858 लाख (तीन करोड़ ग्यारह लाख पचासी हजार आठ सौ) रुपये मात्र के व्यय एवं योजना कियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजना ''मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन'' अंतर्गत जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य मद में कुल मो0 551.43 लाख (पाँच करोड़ एक्यावन लाख तैंतालीस हजार) रुपये मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा उक्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं विगत वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के तहत व्यय की स्वीकृति हेतु शेष राशि के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन क्रमशः मो0 311.73 लाख (तीन करोड़ ग्यारह लाख तीहत्तर हजार) रुपये एवं मो० 12,800 (बारह हजार आठ सौ) रूपये, अर्थात कुल मो0 311.858 लाख (तीन करोड़ ग्यारह लाख पचासी हजार आठ सौ) रुपये मात्र के व्यय एवं योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का उद्देश्य विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण करते हुए इन्हें मत्स्य बीज हैचरी कॉम्प्लेक्स के रुप में विकसित करने हेतु उपयुक्त बनाया जाना है। इससे राज्य में स्थानीय तौर पर अधिकाधिक मत्स्य स्पॉन का उत्पादन किया जा सकेगा।

3 मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन के तहत् विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार मद में निम्न हैचरियों की मरम्मति/जीर्णोद्धार हेतु व्यय किया जायेगा – (रु0 में)

कम	जीर्णोद्धार कार्य	व्यय की स्वीकृति की राशि	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला
		लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
1	मत्स्य कॉलोनी, गुमला स्थित हैचरी भवन का जीर्णोद्धार कार्य	12,800/–	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, गुमला द्वारा दिनांक 11.01.2023 को मो0 7,51,900/– रु0 मात्र पर तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	गुमला
	कुल योग:	**12,800/–**		

उक्त जीर्णोद्धार की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सं0 47 रा0 (वि0) दिनांक 10.03.2023 द्वारा प्रदत्त। किन्तु गत् वित्तीय वर्ष में बजट उपबंध के अभाव में मात्र

4. (i) मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय के तहत् विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य मद में निम्न मत्स्य प्रक्षेत्र को सुदृढ़ करते हुए हैचरी कॉम्प्लेक्स के रुप में विकसित करने पर व्यय किया जायेगा –

कम	निर्माण कार्य	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि/प्राक्कलित राशि (रु0 में)	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला
	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन			
1	तेनुघाट मत्स्य प्रक्षेत्र का आधुनिक मत्स्य प्रक्षेत्र के रुप में विकास (प्रथम चरण)	4,39,70,000/–	मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, राँची द्वारा दिनांक 31.01.2024 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	बोकारो
	उप योग :	**4,39,70,000/–**		
	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना			
2	महेशपुर फिश फॉर्म, अनगड़ा, राँची में पंगेशियस हैचरी निर्माण कार्य।	89,74,600/–	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, छोटानागपुर सर्किल, राँची द्वारा दिनांक 13.02.2024 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	राँची
3	चकधरपुर अंचल अंतर्गत कोलचोकरा मत्स्य विभाग के तालाब के चारों तरफ कंटीले तार से घेरने का कार्य।	17,03,800/–	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, चाईबासा द्वारा दिनांक 24.01.2024 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा
4	बड़ा बाँध, विभागीय हैचरी के संचालन के लिए Submersible Pump के साथ Deep Boring कार्य	4,94,600/–	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, दुमका द्वारा दिनांक 08.06.2022 को तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त।	दुमका
	उप योग :	**1,11,73,000/–**		
	कुल योग :	**5,51,43,000/–**		

उपरोक्त सारणी के कम '1' में बोकारो जिला में तेनुघाट मत्स्य प्रक्षेत्र का आधुनिक मत्स्य प्रक्षेत्र के रुप में विकास कार्य के प्रथम चरण की प्राक्कलित/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो0 4,39,70,000/– रु0 मात्र के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्माण कार्य मद में स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन मो0 2,00,00,000/– रु0 मात्र तथा शेष मो0 2,39,70,000/– रु0 मात्र का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 में इसी मद में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए नियमानुसार शेष राशि के व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

5. राशि का अनुमानित व्यय निम्न बजट शीर्षों में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा जिसके लिये समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है :–

(i) मॉग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–79–मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन की योजना (राशि लाख रु0 में)

क	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5
(क)	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन			
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–29–व्यवसायिक सेवाएँ **53 S 24050010179010329**	15.00	0.00	15.00
2	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53 S 24050010179010544**	50.00	0.00	50.00
	उप योग :	**65.00**	**0.00**	**65.00**

(ख)	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
3	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–29–व्यवसायिक सेवाएँ 53 S 24050079679010329	15.00	0.00	15.00
4	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार 53 S 24050079679010544	50.00	0.128	49.872
	उप योग :	**65.00**	**0.128**	**64.872**
	योग (2405) :	**130.00**	**0.128**	**129.872**

(ii) मॉग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत् परिव्यय–उप शीर्ष–73–मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापन योजना (राशि लाख रु0 में)

क	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5
(क)	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन			
1	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य 53 S 44050010173010545	200.00	200.00	0.00
	उप योग :	**200.00**	**200.00**	**0.00**
(ख)	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
2	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य 53 S 44050079673010545	200.00	111.73	88.27
	उप योग :	**200.00**	**111.73**	**88.27**
	योग (4405) :	**400.00**	**311.73**	**88.27**
	कुल योग (2405 + 4405) :	**530.00**	**311.858**	**218.142**

मो0 311.858 लाख (तीन करोड़ ग्यारह लाख पचासी हजार आठ सौ) रू0 मात्र।

6. चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजना अंतर्गत उपबंधित राशि के अधीन ही उपरोक्त अंकित कंडिका '3' एवं '4' के लिए राशि का व्यय लोक निर्माण विभाग के प्रावधानों के तहत् सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में ही किया जायेगा।

7. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, गुमला/बोकारो/राँची/पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा तथा दुमका होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंताओं को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से निरंतर संपर्क कर चयनित स्थल पर हैचरी निर्माण की गुणवत्ता मॉडल प्राक्कलन के अनुरुप कराने के साथ–साथ स्वीकृत अन्य जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

8. तकनीकी रुप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य सुनिश्चित कराने के उपरांत ही कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को अंतिम भुगतान किया जाएगा।

9. यह एक चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।

10. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होगें तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

11. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इस योजनान्तर्गत प्रस्तावित जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरुप किया जाय।

12. वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजना हेतु स्वीकृत बजट उपबंध मो0 1000.00 लाख (संशोधित बजट उपबंध मो0 645.00 लाख) रुपये में से मो0 632.41 लाख रुपये मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

13. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

14. यह स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना सं0–सी0एस0–2/आर0–01–2005–301 दिनांक 11 मार्च, 2015 तथा अधिसूचना सं0–सी0एस0–01/आर0–04/2021/1269 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है।

15. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

18. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

19. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 57 (रा0/वि0) /रॉची, दिनांक 14-03-2024

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, रॉची/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी/संबंधित सभी मुख्य/अधीक्षण एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 57 रा0/वि0) /रॉची, दिनांक 14-03-2024

प्रतिलिपिः– योजना–सह–विकास विभाग (बजट शाखा, वित्त प्रभाग) झारखण्ड, रॉची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 57 रा0/वि0) /रॉची, दिनांक 14-03-2024

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव